Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

© Govt. of Haryana

Published by Authority

No. 88-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 24, 2018 (JYAISTHA 3, 1940 SAKA
) **LEGISLATIVE SUPPLEMENT**

CONTENTS PAGES

PART-I ACTS

1. THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2017 (HARYANA ACT NO. 21 OF 2018) (Only English) 167-168
2. हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्या 4)। 169-173
3. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)। 175
4. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10)। 177
5. हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्टीकरण और विनियमन) अंगीकरण अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11)। 179
6. हरियाणा सिविल सेवाएं (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाएं तथा अन्य सेवाएं सामहिक/संयक्त परीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12)। 181
7. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)। 183-184
8. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपर्ण नागरिक सखसविधाओं तथा का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15)। 185

(केवल हिन्दी में)

PART-II ORDINANCES

NIL

PART-III DELEGATED LEGISLATION

NIL

PART-IV CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS

NIL

PART - I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 24th May, 2018

No. Leg. 24/2018.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the President of India on the 9th May, 2018 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 21 OF 2018

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2017

AN

ACT

further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), sections 2 and 5 of this Act shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2014.

Amendment of section 24 of Central Act 30 of 2013.

2. In section 24 of the principal Act,-

(i) after sub-section (1), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purpose of this sub-section, a land acquisition proceeding shall be deemed to have been initiated under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) where notification under section 4 of the said Act has been published in any form under sub-section (1) of the said section.";

(ii) in sub-section (2),-

(a) the word "physical" shall be omitted;

(b) for the word "or" occurring after the words "possession of the land has not been taken", the word "and" shall be substituted;

(c) in the proviso, for the sign "."existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(d) after the existing proviso, the following proviso shall be added at the end, namely:-

"Provided further that in computing the period referred to in this sub-section, any period during which the proceedings for acquisition of the land were held up on account of any stay or injunction issued by order of any court, shall be excluded:

Provided further that the entry in rapat roznamcha regarding taking or handing over possession recorded by the Land Acquisition Officer or Revenue Official shall be treated as possession taken for all intents and purposes.".

Amendment of section 46 of Central Act 30 of 2013.

3. In clause (b) of Explanation to section 46 of the principal Act, the words "any person other than" shall be omitted.

Amendment of section 87 of Central Act 30 of 2013.

4. After section 87 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"87A. Offences by Government officials.- Where an offence under this Act has been committed by any person who is or was employed in the Central Government or State Government, as the case may be, at the time of commission of such alleged offence, no बवनतज ेीांसस जंाम बवहदप्रंदबम व िेनबी वििमदबम नदसमेे जीम चतवबमकनतम संपक

Insertion of section 101A in Central Act 30 of 2013.

5. After section 101 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"101A. Power to denotify land.- When any public purpose, for which the land acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) becomes unviable or non-essential, the State Government shall be at liberty to denotify such land, on such terms, as considered expedient by the State Government, including the payment of compensation on account of damages, if any, sustained by the land owner due to such acquisition:

च्तवअपकमक जीांज ूीमतम ं चंतज व िजीम ंबुनपतमक संदक ीें इममद नजपसप्रमक वत ंदलencumbrances have been created, the landowner may be compensated by providing alternative land alongwith payment of damages, if any, as determined by the State Government.".

KULDIP JAIN,
Secretary to Government, Haryana,
Law and Legislative Department.

56302—L.R.—H.G.P., Chd.

No. 113–2018/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 2018
(आषाढ़ 18, 1940 शक)

fo/kk;h ifjf'k"V

Øekad fo"k; oLrq i`"B

PartI अधिनियम

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और अधिकार (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21)। (केवल हिन्दी में) 207—208

PartII v/;kns'k
dqN ughaA

PartIII प्रत्यायोजित विधान
dqN ughaA

PartIV षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
dqN ughaA

Part-I

gfj;k.kk ljdkj

विधि तथा विधायी विभाग

notification

fnuakd 9 tqykbZ] 2018

la[;k ySt- 24@2018-& jkbV Vw Qs;j dEiuls'ku ,.M V^aSUliSjfUl bu ySUM ,sdfoft'ku] रीअबिलिटेशॅन एण्ड रीसैटलमैन्ट (हरियाणा अमेन्डमैन्ट) ऐक्ट, 2017dk fuEufyf[kr fgUnh vuqokn gfj;k.kk के राज्यपाल की दिनांक 2 जुलाई, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यहहरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियमका हिन्दी भाषा में प्रामाण्िाक पाठ समझा जाएगा:-

2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदषर््िाताअधिकार (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदषर््िाता अधिकार अधिनियम, 2013, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संषोधित करने के लिए

अधिनियम

Hkkjr x.kjkT; ds vM+lBosa o"kZ esa gfj;k.kk jkT; fo/kkue.My }kjk fuEufyf[kr :i esa यह अधिनियमित हो:-

1- (1) यह अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिकार (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। laf{kIr uke

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, rFkk प्रारम्भ।
(3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 2 तथा5 जनवरी, 2014 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जाएंगी।

2- मल अधिनियम की धारा 24 में,- 2013 dk अधिनियम 30 की /kkjk 24 dk संषोधन ।

(i)उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन हेत, किसी भमि के अर्जन की अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन प्रारम्भकी गई समझी जाएगी, जहां उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीनअधिसूचना, उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन किसी भी रूप मेंप्रकाष्ि◌ात की गई है ।";

(ii)उप-धारा (2) में,-

(क) "भौतिक "शब्द का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) "भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है" शब्दों के बाद आने वाला "या" शब्द के स्थान पर, "और" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "ः" चिह्न प्रतिस्थापित fd;k tk,xk(rFkk

(d) विद्यमान परन्तुक के बाद, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि इस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करतेहुए, ऐसी अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके दौरान भूमि के अर्जन केलिए कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेष द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेष केकारण रोकी गई थी:

परन्तु यह और कि भूमि अर्जन अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वाराअभिलिखित कब्जा लेने अथवा देने संबंधी रपट रोजनामचा में की गई प्रविष्टि कोसभी उद्देष्यों तथा प्रयोजनों के लिए कब्जा लिया गया समझा जाएगा ।"।

2013 dk dsUnzh; अधिनियम 30 संषोधन।

3- मल अधिनियम की धारा 46 के स्पष्टीकरण के खण्ड([k)में, "से भिन्न कोई व्यक्ति आता शब्दों के स्थान पर, "आते हैं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2013 dk dsUnzh; अधिनियम 30 dh /kkjk 87 dk

4. मूल अधिनियम की धारा 87 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"87क. सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपराध.-जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वाराकोई अपराध किया गया है, जो ऐसे अभिकथित अपराध को करने अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीयअधिनियम 2) की धारा 197 में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है।"।

2013 dk अधिनियम 30 में /kkjk 101 d dk j[kk tkuk A

5- मूल अधिनियम की धारा 101 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"101क.-भमि की अधिसचना रद्द करने की शक्ति.- जब कोई सार्वजनिक जिसके लिए भमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन की गई है, अलाभप्रद या अनावष्यक हो गया है, तो राज्य सरकार, ऐसे अर्जन के कारण द्वारा उठाई गई हानियों, यदि कोई हों, के कारण प्रतिकर के भुगतान सहित ऐसे निबंधनों, जो राज्यसरकार द्वारा सुविचारित समीचीन हों, पर ऐसी भूमि की अधिसूचना को रद्द करने हेतु स्वतंत्रहोगी:

परन्तु जहां अर्जित भूमि के किसी भाग का उपयोग कर लिया गया है या कोई बाधाएंउत्पन्न हो गई हंै, भू-स्वामी को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित हानियों, यदि कोई हांे, केHkqxrku lfgr oSdfYid Hkwfe miyC/k djokrs gq, {kfriwfjr fd;k tk ldrk gS A^^A

----

dqynhi tSu]
lfpo] gfj;k.kk ljdkj]
विधि तथा विधायी
विभाग।

56385—L.R.—H.G.P., Chd.